गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(ISO-9001:2015 एवं ISO-14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्र सं. : 955/व्यव.अनु./2020 दिनांक : 26.09.2020

सार्वजनिक सूचना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा कौशाम्बी योजना स्थित भूखण्ड संख्या-सी.एस.-30/1 का आवंटन दिनांक 28.06.2013 को मै. ड्रीमटेक कन्स. प्रा.लि. के पक्ष में किया गया था। भूखण्ड के विरुद्ध प्राधिकरण की देय बकाया धनराशि जमा कराने हेतु आवंटी को अनेकों बार दूरभाष के माध्यम से एवं विभागीय पत्र दिनांक 10.01.2019, 21.01.2019 एवं 10.09.2020 के माध्यम से सूचित किया गया, परन्तु आवंटी द्वारा देय बकाया धनराशि जमा नहीं कराई गयी है। उक्त सम्पत्ति के सापेक्ष वर्तमान में लगभग रु. 13.08 करोड़ बकाया है। शासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.-2020) प्रचलित है, जिसकी अन्तिम तिथि 30.09.2020 है। आवंटी उक्त योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर धनराशि जमा कर सकता है। इस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के आवंटी मैसर्स ड्रीमटेक कन्स. प्रा.लि. दिनांक 28.09.2020 तक एक मुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.-2020) के अन्तर्गत आवेदन कर धनराशि जमा कर सकते हैं। यदि उक्त योजना में आवेदन कर आवंटी द्वारा धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के विरुद्ध उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के आधीन कार्यवाही करते हुए कब्जा प्राप्त कर नीलामी के द्वारा विक्रय कर धनराशि वसूल की जायेगी। यदि उक्त सम्पत्ति पर किसी अन्य का हित प्रभावित हो रहा हो तो तत्काल प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

अपर सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, :@gdagzb, :@gdagzb

हेल्पलाइन नं. : 0120-3342433, व्हाट्सअप : 9818988807, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प